International Journal of Education and Science Research Review
E-ISSN 2348-6457
February- 2018, Volume-5, Issue-1
P-ISSN 2349-1817
www.ijesrr.org
Email- editor@ijesrr.org

वृद्धजनों की सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक प्रावधान

Dr. Liladhar Soni

Lecturer in Sociology

SPC Government College, Ajmer

सार

बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का संबंध हमारे आयु समूह से है। आयु के आधार पर ही यह निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को उपरोक्त में से किस श्रेणी में रखा जाएगा। वृद्धावस्था हमारी आयु की वह अवस्था है जब व्यक्ति की क्षमताएं कम होती जाती है, इंद्रियां कमजोर हो जाती है और शारीरिक तथा मानसिक क्षमताएं धीरे-धीरे क्षीण होना प्रारंभ कर देती है। अब व्यक्ति युवावस्था की तरह ज्यादा भागदौड़ वाला काम नहीं कर पाता है तथा शारीरिक क्षमता की जगह अपने अनुभव का उपयोग करके अपने काम को निकालता है। व्यक्ति के वृद्ध होते ही अनेक तरह की आवश्यकताओं के लिए वह अब दूसरों पर निर्भर हो जाता है तथा अनेक नवीन तरह की परिस्थितियो और परेशानियों का उसे सामना करना पड़ता है। वृद्धावस्था जनित अनेक रोग उसे घेर लेते हैं और समाज का दृष्टिकोण भी युवाओं की तुलना में वृद्धों के प्रति बदल जाता है। इस प्रकार वृद्धावस्था का संबंध आयु से तो है ही किंतु इसका संबंध सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं से भी है। वृद्ध चुकी अपनी अधिकांश आवश्यकताएं और कार्य अपने स्वयं के स्तर पर पूर्ण नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब उनका शरीर और मानसिक क्षमता पूर्व की तरह उनका साथ नहीं देती है इसलिए लोक कल्याणकारी राज्य का दायित्व है कि वह अपने नागरिकों के सम्मान और अधिकारों की रक्षा करें। भारत में भी वृद्धों के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं।

कुंजी शब्द: वृद्धावस्था, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक प्रावधान

वृद्धावस्था का संबंध आयु से है किंतु किस आयु से व्यक्ति को वृद्ध माना जाए इस संदर्भ में विकसित देशों, विकासशील देशों और अविकसित देशों में अलग-अलग आयु हो सकती है क्योंकि विकसित देशों में उपलब्ध चिकित्सीय सुविधाओं और जागरूकता की वजह से व्यक्ति अधिक आयु तक भी शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रह सकता है। इस संदर्भ में भारत में 60 वर्ष की आयु पूरी करने वाले व्यक्तियों को वृद्धावस्था के लाभो के उद्देश्य से बुजुर्गों के रूप में परिभाषित किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल की चिंता एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है जिस पर समय-समय पर विचार किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा भी इस संदर्भ में अपने प्रयास कर रही है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1978 के संकल्प 33/52 में, उम्र बढ़ने की गंभीर समस्याओं, दुनिया की आबादी के बढ़ते हिस्से की ओर विश्वव्यापी ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता को मान्यता दी और सदस्य राज्यों के परामर्श से संगठित होने का निर्णय लिया। उम्र बढ़ने पर विश्व सभा 1982 में वियना में आयोजित

की गई थी और इसका उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के साथ-साथ राष्ट्रीय विकास में योगदान करने के अवसरों के उद्देश्य से एक अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई कार्यक्रम शुरू करना था। एजिंग पर वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन, एजिंग पर वर्ल्ड असेंबली का परिणाम था। कार्य योजना का उद्देश्य आबादी की उम्र बढ़ने से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकारों और नागरिक समाज की क्षमताओं को मजबूत करना और वृद्ध व्यक्तियों की विकासात्मक क्षमता और निर्भरता की जरूरतों को पूरा करना था। इसने क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया और अनुसंधान, डेटा संग्रह और विश्लेषण, प्रशिक्षण और शिक्षा के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों को संबोधित करने वाली कार्रवाई के लिए 62 सिफारिशें शामिल कीं: 1 स्वास्थ्य और पोषण, 2 बुजुर्ग उपभोक्ताओं की सुरक्षा, 3 आवास और पर्यावरण 4 परिवार, 5 समाज कल्याण, 6 आय सुरक्षा और रोजगार, 7 शिक्षा।

वृद्धावस्था में जिन समस्याओं का सामना सामान्यतः किया जाता है उनमें से निम्न प्रमुख है: गिरता स्वास्थ्य- यह वह उम्र है जब स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं एक व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो जाती है तथा नए-नए रोग और कमजोरी वह महसूस करता है। आर्थिक असुरक्षा- यदि युवावस्था में धन का संग्रह नहीं किया गया है तो बुजुर्गों के सामने अधिकांशतः अपने उदर पूर्ति और दवाइयों के खर्च संबंधी पैसों के लिए बड़ा संकट उत्पन्न हो जाता है। एकाकीपन- प्रमुख रूप से ऐसा देखा गया है कि परिवार के सभी सदस्य अपने-अपने व्यवसाय और अन्य गतिविधियों में व्यस्त होते हैं और ऐसी स्थिति में घर के बुजुर्ग खुद को अकेला पाते हैं, उनसे बात करने वाले भी व्यक्ति कम होते हैं अथवा उनसे बात करने का समय भी परिजनों के पास नहीं होता है। उपेक्षा- प्राय देखा गया है कि बच्चों और युवाओं के द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा की जाती है, उन्हें अपेक्षित महत्व और सम्मान नहीं दिया जाता है। जहां उनकी राय लेनी चाहिए वहां भी उनकी उपेक्षा की जाती है। दुर्व्यवहार- सामान्यतः वर्तमान भौतिकतावाद में यह देखा गया है कि परिजनों अथवा समाज के अन्य नागरिकों के द्वारा भी उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। कई बार उनके सम्मान को ठेस भी पहुंचाई जाती है ऐसे में उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। भय- शारीरिक दृष्टि से अक्षम होने के कारण और अन्य भी बहुत सारी समस्याओं से पीड़ित होने के बाद बुजुर्गों के मन में भावी जीवन के प्रति अनेक भय उत्पन्न हो जाते हैं। बोरियत- शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और कमजोरी के कारण बुजुर्ग कहीं आ जा नहीं पाते हैं इसलिए उनके सामने समय व्यतीत करना एक बड़ी चुनौती हो जाता है ऐसे में बोरियत एक बड़ी समस्या बन जाती है। सम्मान में कमी- वृद्धावस्था से पूर्व व्यक्ति स्वयं सक्षम होता है तो हर स्थान पर उसे यथोचित सम्मान प्राप्त होता है किंतु वृद्धावस्था में सम्मान में कमी महसूस की जाती है। नियंत्रण की कमी- वृद्धावस्था के कारण व्यक्ति अलग-अलग परिस्थितियों में स्वयं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। शारीरिक और मानसिक रूप से वह उतना सक्षम नहीं होता है जितना कि युवावस्था या प्रौढ़ावस्था तक वह होता है। तत्परता की कमी- वृद्धावस्था में व्यक्ति युवावस्था के समान तत्पर नहीं होता है अब शरीर युवावस्था की तरह साथ नहीं देता है इसलिए तत्परता की कमी महसूस होती है।

जहां तक भारतीय संस्कृति की बात है भारत में हमेशा से ही बुजुर्गों का परिवार और समाज में महत्व और सम्मान रहा है। हर महत्वपूर्ण कार्य में बुजुर्गों की सहमति और उपस्थिति भारतीय संस्कृति का प्रमुख हिस्सा

रही है किंतु आज नगरीकरण औद्योगिकीकरण और व्यक्तिवाद के कारण परंपरागत सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है इसके कारण बुजुर्गों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वर्तमान समय में व्यक्तिवाद और सामाजिक परिस्थितियों तथा आर्थिक परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवारों के प्रति कुछ हद तक रुझान कम हुआ है और बदलते परिवेश में बुजुर्गों की राय लेना भी कम हुआ है। जहां पहले भारत में वृद्ध आश्रम बहुत मुश्किल से दिखाई देते थे अब छोटे बड़े शहरों में बुजुर्गों के लिए वृद्ध आश्रम बढ़ते जा रहे हैं जो यह बताता है कि बुजुर्गों का परिवार में जो महत्वपूर्ण स्थान है और सम्मान है वह कम हुआ है। युवाओं के देश भारत में समय के साथ-साथ वृद्धों की जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 7.7 करोड़ थी जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 3.8 करोड़ और महिलाओं की जनसंख्या 3.9 करोड़ थी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ बुजुर्गों की बढ़ती आबादी भी भारत में चिंता का एक प्रमुख विषय है जिसके लिए समय-समय पर विभिन्न कानूनों और योजनाओं के निर्माण की आवश्यकता होती है ताकि बुजुर्गों की जरूरत को पूरा किया जा सके। भारतीय सविधान निर्माता बुजुर्गों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं। भारतीय संविधान वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय संविधान में इस संदर्भ में जो प्रमुख प्रावधान है वह निम्नानुसार है:
भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची राज्यों और संघ के मध्य के अधिकारों को उल्लिखित करती है। इसमें तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची की प्रविष्टि 24 के अनुसार श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएँ, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएँ हैं। समवर्ती सूची के इस प्रावधान के अनुसार वृद्ध व्यक्तियों के लिए पेंशन की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।
इसके अलावा राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 9 के अनुसार निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य व्यक्तियों की सहायता का प्रावधान किया गया हैं। वृद्ध नियोजन के अयोग्य होते हैं अतः उनकी सहायता का प्रावधान भी इस सूची में हैं।
समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक योजना से संबंधित है इस सूची के अनुसार भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए योजनाएं बनाई जा सकती है।
समवर्ती सूची की प्रविष्टि 23 सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा; नियोजन और बेकारी से संबंधित है, इसके अनुसार वृद्धजनों को सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा और बेकारी मैं सहायता दी जा सकती है। समवर्ती सूची की ही प्रविष्टि 24 श्रमिकों का कल्याण जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएँ, भविष्य निधि, नियोजक का दायित्व, कर्मकार प्रतिकर, अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएँ से से संबंधित है। यह वृद्धावस्था पेंशन और कर्मकारो के अशक्तता में संरक्षण से संबंधित प्रावधान करती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 के अनुसार कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार नागरिको को है। इसके अनुसार राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। इस प्रकार भारतीय संविधान में वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनेक प्रावधान है। कोई व्यक्ति यदि कामगार के रूप में अपनी आयु प्राप्त करने के बाद कार्य करने में अक्षम है तो भी उसके अधिकारों की रक्षा भारतीय संविधान में की गई

है। वृद्धावस्था पेंशन और अन्य कई तरह से वृद्ध व्यक्तियों के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने का प्रावधान भारतीय संविधान में है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अनेकों कानून और योजनाएं केंद्र और विभिन्न राज्यों ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए निर्मित किए हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

https://www.un.org/en/conferences/ageing/vienna1982
बुजुर्ग लोगों के अधिकार, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली, वर्ष 2013
https://www.who.int/about/governance/constitution
आहुजा राम, सोशल प्रॉब्लम इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, वर्ष 2014
महाजन, महाजन, भारतीय समाज मुद्दे एवं समस्याएं, विवेक प्रकाशन, दिल्ली, वर्ष 2004